कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव जिला–कोण्डागांव (छ0ग0)

–: ज्ञापन :–

क्रमांक / 953 / रीडर / 2017 कोंडागांव,दिनांक 20 / 03 / 2017

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी,
(एन.आई.सी.)
जिला–कोण्डागांव

विषयः– अधिसूचना का वेबसाईड पर अपलोड कराने के संबंध में।

–000–

विषयान्तर्गत ग्राम चांदाबेड़ा चान्दोका व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम चांदाबेड़ा की 2.327 हेक्टेयर भूमि, ग्राम बंगोली भैसाबेड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु ग्राम बंगोली की 4.651 हेक्टेयर भूमि, ग्राम केरावाही जलाशय योजना हेतु ग्राम केरावाही की 7.093 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम मुनगापदर कोलियारापारा व्यपवर्तन योजना ग्राम मुनगापदर की 1.484 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से संबंधी अधिसूचना आपको इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया अधिसूचनाओं का वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कोण्डागांव

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/719/रीडर/04/भू–अर्जन/अ–82/2017 कोण्डागांव,दिनांक 3/02/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत।

अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 13,16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोण्डागांव	फरसगांव	चांदाबेड़ा	2.327	चान्दोका व्यपवर्तन योजना।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अध्ययन कर प्ररूप–दो (नियम 18) भाग क में प्रत्येक प्रभावित भूमिस्वामी से पूर्व लिखित सहमति, भाग ख में ग्राम सभा का संकल्प तथा प्ररूप–तीन में सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 22-3-17 को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन चांदाबेड़ा पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

(एक) लोक प्रयोजन का विवरण– **चान्दोका व्यपवर्तन योजना।**
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– **14**
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या–0
(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–**0**
(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–0
(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है– **हां**
(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है– **हां**
(आठ) परियोजना की कुल लागत– **रू. 227.42 लाख**
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ– **120.000 हेक्टेयर खरीफ**
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात पर होने वाला संभावित व्यय– **800000 लाख मुआवजा राशि**
(ग्यारह)परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक–**वन भूमि 0.041 हेक्टेयर**

उपरोक्त भूअर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो वह दिनांक 22-3-17 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला कोण्डागांव में उपस्थित होकर दे सकते है।

कलेक्टर एवं
पदेन उपसचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ 719/रीडर/03/भू–अर्जन/अ–82/2017 कोण्डागांव,दिनांक 3/02/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत।

अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 13,16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोण्डागांव	फरसगांव	बंगोली	4.651	भैंसाबेड़ा व्यपवर्तन योजना।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अध्ययन कर प्ररूप–दो (नियम 18) भाग क में प्रत्येक प्रभावित भूमिस्वामी से पूर्व लिखित सहमति, भाग ख में ग्राम सभा का संकल्प तथा प्ररूप–तीन में सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 25-3-17 को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन बंगोली पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

(एक) लोक प्रयोजन का विवरण– **भैंसाबेड़ा व्यपवर्तन योजना।**
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– 23
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या–0
(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–**0**
(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–0
(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है– **हां**
(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है– **हां**
(आठ) परियोजना की कुल लागत– **रू. 182.07 लाख**
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ– **90.000 हेक्टेयर खरीफ**
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात पर होने वाला संभावित व्यय– **1200000 लाख मुआवजा राशि**
(ग्यारह)परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक–**वन भूमि प्रकरण**

उपरोक्त भूअर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो वह दिनांक 25-3-2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला कोण्डागांव में उपस्थित होकर दे सकते है।

कलेक्टर एवं
पदेन उपसचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/72/रीडर/02/भू–अर्जन/अ–82/2017 कोण्डागांव,दिनांक 3/02/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत।

अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 13,16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोण्डागांव	कोण्डागांव	केरावाही	7.093	केरावाही जलाशय योजना, बांध निर्माण हेतु।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अध्ययन कर प्ररूप–दो (नियम 18) भाग क में प्रत्येक प्रभावित भूमिस्वामी से पूर्व लिखित सहमति, भाग ख में ग्राम सभा का संकल्प तथा प्ररूप–तीन में सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 29-3-17 को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार हैः–

(एक) लोक प्रयोजन का विवरण– **केरावाही जलाशय योजना बांध निर्माण हेतु।**
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– 24
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या–0
(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–**30 वृक्ष,01 कुंआ**
(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–0
(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है– **हां**
(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है– **हां**
(आठ) परियोजना की कुल लागत– **रू. 856.15 लाख**
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ– **303.64 हेक्टेयर खरीफ+24.29 हेक्टेयर रबी = योग 327.93 हेक्टेयर**
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात पर होने वाला संभावित व्यय– **15,48,667 लाख मुआवजा राशि**
(ग्यारह)परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक–**वन भूमि प्रकरण 6.260 हेक्टेयर**

उपरोक्त भूअर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो वह दिनांक 29-3-17 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला कोण्डागांव में उपस्थित होकर दे सकते है।

कलेक्टर एवं
पदेन उपसचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्ररूप–एक

(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक/ 858 /रीडर/01/भू–अर्जन/अ–82/2017 कोण्डागांव,दिनांक 16/03/2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत।

अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के नियम 13,16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किए जाने हेतु नियम–11 के तहत् अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोण्डागांव	कोण्डागांव	मुनगापदर	1.484	कोलियारपारा व्यपवर्तन योजना।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा अध्ययन कर प्ररूप–दो (नियम 18) भाग क में प्रत्येक प्रभावित भूमिस्वामी से पूर्व लिखित सहमति, भाग ख में ग्राम सभा का संकल्प तथा प्ररूप–तीन में सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन अधिसूचना की तारीख से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किया जाएगा। भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन के लिए जन सुनवाई दिनांक 17.04.17 को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत मुनगापदर पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

(एक) लोक प्रयोजन का विवरण– **कोलियारपारा व्यपवर्तन योजना।**
(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या– 12
(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या–0
(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–0
(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या–0
(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है– **न्यूनतम है।**
(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है– **हां**
(आठ) परियोजना की कुल लागत– **रू. 646.00 लाख**
(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ– **150 हेक्टेयर में सिंचाई।**
(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात पर होने वाला संभावित व्यय– **5000.00**
(ग्यारह)परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक–0

उपरोक्त भूअर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो वह दिनांक 17.04.17 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) जिला कोण्डागांव में उपस्थित होकर दे सकते है।

कलेक्टर एवं
पदेन उपसचिव
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग